रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

राज सरकार बनाम अनिता वगै॰

किस्म मुकदमा दावा धारा 177 राज॰का॰ अधि॰1955 नं॰ 243 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2025	प्रार्थी/वादी तहसीलदार बांदीकुई द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया। प्रकरण दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस/सम्मन से की जावे। पत्रावली दिनांक 28/11/2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
28/11/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप॰/ अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण बावजूद तामील इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप॰ आया। अतः अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा॰ 79 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10/12/2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/पैरोकार सरकार उप॰। बहस की गयी। हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 177 राज॰का॰ अधि॰1955 का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 10/12/25	

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बांदीकुई

.........वादी /प्रार्थी

बनाम

1. अमिता पुत्री रामकिशोर जाति माली सा.देह खातेदार
2. उदयचंद पुत्र रामकिशोर जाति माली सा.देह खातेदार
3. उषा पुत्री हजारीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
4. ओमप्रकाश पुत्र हरिनारायण जाति माली सा. देह खातेदार
5. कमलेश पुत्री रामनारायण जाति माली सा.देह खातेदार
6. कमलेश पुत्री रामजीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
7. कमलेश पुत्री जगदीश जाति माली सा.देह खातेदार
8. कैलाश पुत्र हरिनारायण जाति माली सा. देह खातेदार
9. कृष्णा देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति महाजन सा. वार्ड नं. 29 बांदीकुई
10. किशोरीलाल पुत्र भौरीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
11. किस्तूरी देवी पत्नि स्व.मूलचन्द जाति माली सा.देह खातेदार
12. कौशल्या पुत्री रामनारायण जाति माली सा.देह खातेदार
13. खेमचन्द पुत्र बिरदया जाति माली सा.देह खातेदार
14. खेमराज पुत्र हजारीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
15. ख्यालीराम पुत्र नारायण जाति माली सा.देह खातेदार
16. गुलजारीलाल पुत्र रामजीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
17. गुल्याराम पुत्र मूलचंद जाति माली सा.देह खातेदार
18. गुलाब पुत्री हजारीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
19. गोपाल पुत्र हट्या जाति माली सा. देह खातेदार
20. घींसी पत्नि जगदीश जाति माली सा. देह खातेदार
21. चम्पादेवी पुत्री नारायण जाति माली सा. देह खातेदार
22. छगनलाल पुत्र मोतीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
23. छोटेलाल पुत्र मूलचंद जाति माली सा.देह खातेदार
24. डालचंद पुत्र बिरदया जाति माली सा.देह खातेदार
25. डालचंद पुत्र नारायण जाति माली सा. देह खातेदार
26. त्रिलोकचंद पुत्र रामलाल जाति माली सा.देह खातेदार
27. द्रोपती पुत्री रामकिशोर जाति माली सा. देह खातेदार
28. दामोदर पुत्र रामहेत जाति माली सा.देह खातेदार

Scanned with OKEN Scanner

29. नर्बदा पुत्र हरिनारायण जाति माली सा. देह खातेदार
30. नारायणी देवी पत्नि स्व. हजारीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
31. प्रदीप पुत्र पूर्णमल जाति ब्राहमण सा. खेडलाबडागॉव खातेदार
32. प्रभूदयाल पुत्र मूलचंद जाति माली सा.देह खातेदार
33. प्रेमचंद पुत्र रामनारायण जाति माली सा. देह खातेदार
34. प्रवीण कुमार पुत्र कन्हैया लाल अग्रवाल जाति महाजन सा. वार्ड नं. 29 बांदीकुई खातेदार
35. बाबूलाल पुत्र मूलचंद जाति माली सा. देह खातेदार
36. बाबूलाल पुत्र मु.अर्जुन जाति माली सा.देह खातेदार
37. मंजू पुत्री हजारीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
38. मुथरी पत्नि जौहरीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
39. मनभरी पुत्री रामजीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
40. मुन्शीलाल पुत्र भौरया जाति माली सा. देह खातेदार
41. महेश पुत्र हरिनारायण जाति माली सा.देह खातेदार
42. मांगीलाल पुत्र रामनारायण जाति माली सा. देह खातेदार
43. मीना पुत्री हजारीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
44. मोतीलाल पुत्र हट्टया जाति माली सा. देह खातेदार
45. रूकमणी पुत्री रामजीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
46. रूपनारायण पुत्र भौरया जाति माली सा.देह खातेदार
47. रूपा देवी पत्नि रामकिशोर जाति माली सा.देह खातेदार
48. रमेशचंद पुत्री रामकिशोर जाति माली सा. देह खातेदार
49. रामकिशन पुत्र रामचंद जाति माली सा. देह खातेदार
50. रामकिशोर पुत्र रामचन्द्र जाति माली सा.देह खातेदार
51. रामजीलाल पुत्र भौरीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
52. रामप्रसाद पुत्र रामकुॅवार जाति माली सा.देह खातेदार
53. रामफूल पुत्र मूलचंद जाति माली सा.देह खातेदार
54. रामबाई पत्नि रामजीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
55. रामबाई पुत्री बिरदया जाति माली सा. देह खातेदार
56. रामलाल पुत्र रामचंद जाति माली सा.देह खातेदार
57. रामेश्वरप्रसाद रामकुॅवार जाति माली सा.देह खातेदार
58. रामसिंह पुत्र मूलचंद जाति माली सा.देह खातेदार
59. लछमा पुत्र मूलचंद जाति माली सा. देह खातेदार
60. लल्लूराम पुत्र जौहरीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
61. लल्ली पुत्री बिरदया जाति माली सा. देह खातेदार
62. लल्लीदेवी पत्नि मोतीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
63. ललितकुमार पुत्र रामजीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
64. विनोद पुत्र जगदीश जाति माली सा. देह खातेदार
65. शिवलाल पुत्र भौरीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
66. शीला पुत्री हजारीलाल जाति माली सा.देह खातेदार

Scanned with OKEN Scanner

67. सन्तो देवी पुत्री मूलचंद जाति माली सा. देह खातेदार
68. सुशीला पुत्री रामजीलाल जाति माली सा. देह खातेदार
69. सोदान पुत्र जगदीश जाति माली सा. देह खातेदार
70. हुकमचन्द पुत्र रामहेत जाति माली सा.देह खातेदार
71. हेमराज पुत्र जगदीश जाति माली सा. देह खातेदार
72. हरगोविन्द पुत्र मूलचंद जाति माली सा. देह खातेदार
73. हरलाल पुत्र रामकुँवार जाति माली सा. देह खातेदार
74. हरियाराम पुत्र हट्टया जाति माली सा. देह खातेदार
75. हीरालाल पुत्र बिरदया जाति माली सा.देह खातेदार
76. होतीलाल पुत्र हजारीलाल जाति माली सा.देह खातेदार
समस्त निवासी ग्राम बाढ बिशनपुरा तह. बांदीकुई
77. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बांदीकुई
78. प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लि. अशोक मार्ग जयपुर

.... प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

<u>प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955:—</u>

निर्णय दिनांक 10.12.2025

वादी/प्रार्थी तहसीलदार बांदीकुई द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण/खातेदारान दावा प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:— ग्राम बाढ बिशनपुरा के आराजी खसरा नंबर 54 रकबा 0.09 हैक्टेयर को खातेदार अमिता पुत्री रामकिशोर, उदयचन्द पुत्र रामकिशोर वगै0 मुताबिक जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का नारायणपुरा एवं भू—अभिलेख निरीक्षक श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई ने दिनांक 13.10.2025 को ग्राम बाढ बिशनपुरा तहसील बांदीकुई स्थित उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 54 में मौके पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है जो लगभग 600 वर्गमीटर में पुख्ता निर्माण एवं 100 वर्गमीटर भूमि विद्यालय की चारदीवारी के अन्दर खाली पडी हुई है एवं शेष भूमि पर मकान दुकान बने हुये है जो अकृषि कार्य हेतु काम में लिये जाने कारण प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबरान को कृषि भूमि से अकृषि उपयोग किया जा रहा है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों का उल्लंघन किया है। अतः खातेदारान की खातेदारी समाप्त कर भूमि खातेदारान को बेदखल कर खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदार काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत हानिप्रद कार्य एवं कृषि अयोग्य भूमि करने के कारण बेदखली की शास्ती का दायी व भागीदार है। जिससे यह वादपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदारान को उक्त भूमि से बेदखल कर भूमि को राजकीय सम्पदा घोषित करने बाबत निवेदन किया।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण/खातेदारान जर्ये नोटिस/सम्मन से की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद तलबी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.11.2025 को की गयी। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत वाद के संलग्न पटवारी हल्का नारायणपुरा एवं भू.अ.नि. श्यालावास कलां का मौका पर्चा ग्राम बाढ बिशनपुरा दिनांक 13.10.2025 द्वारा खसरा नंबर 54 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म बारानी । में मौके पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बना होने एवं 100 वर्गमीटर भूमि विद्यालय की चारदीवारी के अन्दर खाली पडी हुई होने एवं शेष भूमि पर मकान दुकान बने होने बाबत रिपोर्ट की है एवं भूमि अकृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया जाना व्यक्त किया है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बिगडा है। अतः वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत वाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बाढबिशनपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 54 रकबा 0.09 हैक्टेयर की कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर भूमि का स्वरूप बिगाडने के कारण उक्त खातेदारान के विरूद्ध धारा 177 आरटीए 1955 के अन्तर्गत भूमि को नियमानुसार सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

10/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner